Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 250/2022

Bishwanath Thakur & Ors ..... Appellants.

Versus

Murari Singh & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.12.2023	**आदेश** प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी, पूर्णिया के भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अंतर्गत वाद सं0–15/2021–22 में दिनांक–19.10.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–ध्रुव विलास, खाता सं0–63, खेसरा सं0–693, रकवा–1.62 एकड़ विवादित भूमि है। जो मूलतः जगदीश प्रसाद कुँवर की थी जिन्होंने भूदान यज्ञ समिति को वर्ष 1955 में दान दिया था। अपीलार्थी के पिता को उक्त भूमि का भूदान पर्चा प्राप्त है। इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज है तथा ये दखलकार हैं। अचानक उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष इनके विरूद्ध जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–16/2022 दायर किया गया। इसी बीच उत्तरवादी द्वारा इन्हें उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया। उक्त भूमि पर इनका आवास बना हुआ है। इनके द्वारा दखल–कब्जा बनाये रखने हेतु निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया। जिसमें उत्तरवादी उपस्थित होकर प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए दावा किये कि R.S. खेसरा–493, C.S. खेसरा –2/9 से बना हुआ नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा मनमाने ढ़ंग से आदेश पारित करते हुए अंचलाधिकारी को जमाबंदी सं0–559, 563, 561, 562, 560 को निरस्त करने हेतु समुचित प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया, जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष पूर्व से ही जमाबंदी रद्दीकरण का मामला लंबित है। निम्न न्यायालय द्वारा इनके पर्चा को जाली एवं बिना सर्वे मैप के C.S. खेसरा सं0–2/9 से R.S. खेसरा सं0–493 के सम्परिवर्त्तित होने को भी गलत बताया जाना अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा मनमाने ढ़ंग से आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है	

Web Copy, Not Official.

		कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जाली भूदान पर्चा के आधार पर दावा किया जा रहा है। जिसे निम्न न्यायालय ने फर्जी घोषित किया है। अपीलार्थी ने अपने भूमि के ब्यौरे में खेसरा सं0–693 क्रमशः	
	लगातार 22.12.2023	लिखा है, जो गलत है। यह सही है कि भूधारी जगदीश प्रसाद कुँवर ने भूदान यज्ञ समिति को अपनी कुछ भूमि दान में दी थी किन्तु अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त भूमि किस खाता–खेसरा से दी गई थी। इनके द्वारा ऑनलाईन रसीद कटाया गया तो कुल रकवा–02 एकड़ 08 डी0 भूमि में से मात्र 46 डी0 का रसीद कटा। शेष 1.62 एकड़ भूमि की जमाबंदी अपीलार्थियों के नाम नामांतरण वाद सं0–5152/2015–16 द्वारा कायम बताया गया। इनके द्वारा उक्त नामांतरण वाद की प्रति प्राप्त करने हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया तो कार्यालय द्वारा बताया गया कि अभिलेख पथभ्रष्ट हो गया है। राजस्व कर्मचारी से इन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि विवादित खेसरा का कुल रकवा–1.62 एकड़ भूमि का भूदान पर्चा अपीलार्थी के पिता विन्देश्वरी ठाकुर के देहांत के बाद उनके पुत्रों का नाम दर्ज है। इनके द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत कार्यालय मंत्री जिला भूदान यज्ञ समिति, पूर्णिया से दान–पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित जानकारी की माँग किये जाने पर उन्होंने पत्रांक–223 दिनांक–23.02.2022 द्वारा वांछित सूचना तथा दान–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया गया। उक्त दान–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा मौजा–ध्रुवविलास एवं महाराजगंज की भूमि दान में दी गई है। जिसमें खेसरा सं0–2/9 अंकित है और ना तो खाता संख्या और ना ही थाना संख्या अंकित है, सिर्फ थाना–धरहरा अंकित है। जबकि अपीलार्थी का प्रमाण पत्र इससे भिन्न है। उल्लेखनीय है कि इनका प्रमाण पत्र दिनांक–06.09.1955 को निर्गत है जबकि उक्त अवधि में R.S. खाता खेसरा का प्रकाशन ही नहीं हुआ था। इससे भूदान पर्चा स्वतः जाली प्रतीत होता है। भूदान यज्ञ समिति द्वारा इन्हें सूचना अधिकार अंतर्गत दी गई सूचना में संपुष्टि वाद सं0–1480 दिनांक–26.07.1957 दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि बिना संपुष्ट हुए वर्ष 1955 में फर्जी दान–पत्र निर्गत किया गया है। तत्पश्चात् इनके द्वारा अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष जमाबंदी सुधार वाद सं0–16/2022–23 दाखिल किया है जो सुनवाई हेतु लंबित है। प्रश्नगत भूमि इनकी खतियानी भूमि है जिसका अपीलार्थियों द्वारा फर्जी भूदान पर्चा बनाकर अपने नाम जमाबंदी कायम करा लिया गया है, जिसे निम्न न्यायालय ने भी फर्जी घोषित किया है। इनके द्वारा उक्त मामले को लेकर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बनमनखी के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया गया। अपीलार्थी को इसकी सूचना मिलने पर निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया है। इनके द्वारा भू–मापक (अमीन) से R.S. एवं C.S. खेसरा का मिलान कर ट्रेश नक्शा तैयार कराया गया जिसमें C.S. खेसरा सं0–62 से R.S. खेसरा सं0–491, 492, 493, 494, 495,	

Web Copy. Not Official.

		496, 497 एवं 542 बना है। इससे स्पष्ट है कि जिला भूदान यज्ञ समिति द्वारा नियम के विरूद्ध भूदान प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मौजा–ध्रुवविलास, थाना सं0–1 की सृजित जमाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लॉक (Lock) करते हुए उक्त जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव दिये जाने का निदेश सही है। अपीलार्थी का दावा निराधार है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में क्रमशः	
	लगातार 22.12.2023	संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर भूदान पर्चा के आधार पर जबकि उत्तरवादियों द्वारा खतियानी रैयत के वारिसानों के आधार पर दावा किया जा रहा है। अपीलार्थियों द्वारा प्राप्त भूदान पर्चा को वैध प्रमाणित करने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय ने अपने तार्किक एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों द्वारा अपीलार्थी के पूर्वज को प्राप्त भूदान पर्चा को फर्जी एवं सत्य से परे पाया है। अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया में दायर जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–36/2023–24 (बिहार सरकार बनाम विश्वनाथ ठाकुर एवं अन्य) में दिनांक–26.09.2023 को पारित आदेश में भी अपीलार्थी के पक्ष में निर्गत भूदान पर्चा को फर्जी पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्राप्त भूदान पर्चा के आधार पर दावा किया जाना पूर्णतः अवैध है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.